


समक्ष श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण क्र.प्र/निगरानी/स्थिति/भूदा/2018/प्रस्तुत दिनांक
श्रीमति कमला बाई पत्नि तुकाराम चौरे

उम्र 66 वर्ष, जाति महार ग्राम खमारिया

तहसील बरघाट जिला सिवनी म.प्र. पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध



1. भारतलाल आ० पैकराम जाति महार उम्र 70 वर्ष,

2. गंगोत्री बाई पत्नि परसराम जाति कुम्हार उम्र 40 वर्ष

दोनों निवासी ग्राम नयेगांव तहसील बरघाट

जिला सिवनी म.प्र.

उत्तरवादी गण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू०रा०सं० 1959

विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गंगेरुआ (धपारा)

तहसील बरघाट जिला सिवनी म.प्र. द्वारा राजस्व प्रकरण क्र.

04/अ70/16-17 पक्षकार भारतलाल विरुद्ध कमला बाई +1 मे पारित

आदेश दिनांक 17.10.17 से दुरिखित होकर पुनरीक्षणकर्ता निम्न लिखित

तथ्यो एवं आधारो के यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करती है:-

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि उत्तरवादी क्र.1 द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 250 म.प्र. भू०रा०सं० के अंतर्गत पुनरीक्षणकर्ता एवं उत्तरवादी क्र.2 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम खमारिया प०ह०नं 59 भूमि खसरा नं. 33/1 रक्बा 0.66 हे० भूमि राजस्व अभिलेखो मे दर्ज है उक्त भूमि मे से 0.26 हे० पर अपीलाथी एवं 0.07 हे० पर उत्तरवादी क्र.2 द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/सिवनी/भू.रा./2018/1041

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/३/१८	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदिका की पोषणीयता के संबंध में आपत्ति इस आधार पर निरस्त की है कि उसका दिनांक 23.05.17 का आवेदन जबकि अनावेदक का आवेदन भूमि खसरा नं. 33/1 रकवा 0.66 हे. से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदिका की आपत्ति का निराकरण विस्तृत विवेचना करते हुए किया है, जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p> <p style="text-align: left;">(Signature)</p>	